आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में "जल सोफ" महामारी

*353. **जी विशम्बरनाथ पाण्डे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1988-89 में मध्य प्रदेश का बालाघाट जिले और आन्ध्र प्रदेश का कडापा जिले में "जल सौफ" महामारी का प्रकोप हुआ ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद ने प्रभावित परिषदों द्वारा प्रयोग किये गये खाद्य तेलों के नमूनों का परीक्षण किया तथा 40 प्रतिशत नमूनों में अरजीमन तेल की मिलावट पाई गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने मैसूर पुणे, कलकत्ता, लुधियाना और हैदराबाद में खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण होने वाले रोगों का पता लगाने के लिए एक बहु-आयामी अध्ययन शुरू किया है; और

(घ) यदि हां, तो अध्ययन समूहों की सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् वोविन दूध, गेहूं, चावल और शिशु दूध तथा पूरक आहारों, में कीट-नाशक अवशिष्टों (डी.डी.टी. और पी. एच. सी.) शिशु दूध तथा पूरक आहारों, हल्दी, डिब्बा बन्द फल उत्पादो और पत्तेदार सब्जियो मे भारी धातु (सीसा, अरगला, सांख्यि तांबा, जस्ता, टीन), मूंगफली, मकई और गेहूं में एफ्लाटाक्सिन बी जैसे कुछ अत्यधिक जोखिम वाले पदार्थों में आहार संदूषण के खतरों की निगरानी संबंधी एक बहुकेन्द्रीय अध्ययन में समन्वय कर रही है ।

(घ) यह अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है जिससे कि कोई निष्कर्ष निकाला जा सके या कोई सिफारिश की जा सके । बहरहाल, आधारिक आंकड़े तैयार किए गए हैं और विस्तृत सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा रहा है जिससे इस बहु-केन्द्रक अध्ययन की रिपोर्ट का पहला भाग 1991 में तैयार हो जाने की आशा है ।

खेल का सामान बनाने वाले लघु क्षेत्र के एककों की शिकायतें

*354. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1990 के 'ट्रिब्यून' में 'स्पोर्टस गुड्स मेकर्स आर वीग डिसीव्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि खेल का सामान बनाने वाले लघु क्षेत्र के एककों ने बड़ी औद्योगिक एककों द्वारा की जा रही अनियमितताओं को सरकार की जानकारी में लाते हुए सरकार द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो लघु एककों द्वारा बड़ी कम्पनियों के विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने आरोपों की जांच की है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार ने जांच के परिणामों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) स्पोर्ट्स गुड्स मेन्यूफेक्चरर्स एंड एक्सपोरटर्स एसोसिएशन, जालन्धर ने आरोप लगाया है कि कुछ कम्पनियां, जिन्हें हाल ही में विदेशी सहयोग के

लिए अनुमोदन किए गए थे, अन्तर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात ब्रांड नामों का इस्तेमाल करके केजुअल और खेल के जूतों और अन्य खेलों के सामान के उत्पादन में गैर-कानूनी रूप से लगी हुई हैं । यह भी आरोप लगाया गया कि भ्रामक विज्ञापनों का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि इन कम्पनियों को किसी भी उच्च प्रौद्योगिकी का अन्तरण नहीं किया गया है ।

(घ) और (ङ) सरकार ने दो विदेशी सहयोग स्वीकृत किए हैं:—अर्थात् (1) खेल और विशेष प्रकार के जूतों के लिए मै. करोना लि. और मै. पूमा ए.जी. पश्चिम जर्मनी के बीच और (2) खेल और विशेष प्रकार के जूतों/खेल के सामान इत्यादि के लिए मै. बाटा इंडिया लि. और मै. आडिडास स्पोर्टस स्चूहफ्रेब्रीकेन, पश्चिम जर्मनी के बीच । इन सहयोगों में तकनीकी जानकारी का अन्तरण अन्तर्ग्रस्त है । अनुमोदन पत्रों में इस मानक शर्त का समावेश किया जाता है कि लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का निर्माण नहीं किया जायेगा और आंतरिक बिक्री के लिए विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी । सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात ब्रांड नामों के प्रयोग के बारे में दोनों कम्पनियों से स्पष्टीकरण मांगा है ।

महाराष्ट्र में बिजली का उत्पादन और खपत

*355. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय बिजली का प्रति व्यक्ति उत्पादन और खपत कितना-कितना है ; और

(ख) उस राज्य में बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) 1988–89 के दौरान महाराष्ट्र में विद्युत का वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्पादन (जनरेशन) तथा खपत क्रमश: 476.44 किलोवाट आवर और 372.04 किवलोवाट आवर था ।

(ख) महाराष्ट्र में विद्युत की उपलब्धता में अभिवृद्धि किए जाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायो में ये शामिल हैं ; विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों से इष्टतम विद्युत उत्पादन करना, ताप विद्युत केन्द्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करना, कारगर भार प्रबंध एवं ऊर्जा संरक्षण आदि । पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों जिनसे राज्यों को अपने हिस्से की विद्युत प्राप्त होगी के अतिरिक्त आठवीं योजना अवधि में राज्य में नई विद्युत उत्पादन क्षमता की भी आयोजना है ।

Import of Drugs

*356. SHRI SIKANDER BAKHT:
SHRI ANANT RAM JAISWAL:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question No. 900 given in the Rajya Sabha on the 16th August, 1990 and state:—

(a) What are the names of the drugs which are totally imported and are having import of more than Rupees Fifty lakh each per annum for which his Ministry has received representations from Members of Parliament for inclusion under price control;

(b) whether it is a fact that exclusion of such drugs would encourage imports;

(c) whether it is a fact that the objective spelt out by Government is to boost indigenous production;